

# राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवेदन-पत्र

## जनपद रायवरेली

१-आवेदक का नाम.....  
पिता/पति का नाम.....

२-पूरा पता ग्राम.....पोस्ट.....  
विकास खण्ड .....तहसील.....जिला.....

३-मृतक का नाम.....जाति.....

४-मृतक का पूरा पता .....

५-मृत्यु की तिथि समय व स्थान.....

६-मृत्यु का कारण.....

७-मृतक का पेशा.....

८-मृत्यु की दिनांक को मृतक की उम्र.....

९-मृतक के परिवार की वार्षिक/मासिक आमदनी.....

१०-आवेदक का मृतक से सम्बन्ध.....

११-मृतक के आश्रितों का विवरण.....  
स्थान.....दिनांक.....

फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

प्रमाणित किया जाता कि मृतक परिवार की आय का मुख्य साधक था। मृतक के परिवार में किसी भी सदस्य को किसी भी विभाग द्वारा कोई पेंशन/आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है। आवेदन पत्र में किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है। आवेदन पत्र में जो सूचना दी गई है वह असत्य और यदि गलत पाई जाये तो प्राप्त आर्थिक सहायता की धनराशि सरकार को वापस कर दूंगा/दूंगी।

आवेदक के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

नोट:-आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

१-मृतक परिवार की आय का मुख्य साधक था तथा परिवार की कुल वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र तहसीलदार/उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मान्य होगा।

२-मृतक की उम्र का प्रमाण पत्र।

३-मृत्यु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।

४-आसामयिक मृत्यु होने की दशा में दर्ज कराई गई एफ०आई०आर० तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कापी।

प्राप्ति रसीद  
श्री/श्रीमती .....पुत्र/पुत्री/पत्नी .....  
निवासी ..... का प्रार्थना पत्र आज दिनांक .....  
प्राप्त किया।

हस्ताक्षर  
प्राप्तकर्ता